

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1301]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2014/ज्येष्ठ 29, 1936

No. 1301]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2014/JYAISTHA 29, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2014

का. आ.1564(अ) – चूंकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09 जनवरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 09 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ.45 (अ.) के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश-01, नई दिल्ली, पटियाला हाऊस को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय अर्थात् जिला न्यायाधीश-IV-सह-प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पटियाला हाऊस न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (9) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए अपर न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया था;

तथा चूंकि श्री धर्मेश कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश-01, नई दिल्ली, पटियाला हाऊस न्यायालय, जिन्हें दिनांक 27 फरवरी, 2014 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित दिनांक 26 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 580 (अ.) द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (9) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए अपर न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः इस कारण उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (9) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2014 को भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित

दिनांक 26 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.-का.आ.580 (अ.) का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की सिफारिश पर श्री भरत पराशर को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय में अपर न्यायाधीश के तौर पर एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (भाग)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2014

S. O. 1564 (E). – Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), had, vide notification number S. O. 45 (E), dated the 9th January, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th January, 2012, appointed the Additional Sessions Judge-01, New Delhi Patiala House Court, as Additional Judge to the National Investigation Agency Special Court i.e. the District Judge-IV-cum-Additional Sessions Judge in-charge, New Delhi, Patiala House Courts for conducting the business under sub-section (9) of Section 11 of the said Act;

And Whereas, Shri Dharmesh Kumar Sharma, Additional Sessions Judge-01, New Delhi, Patiala House Court, who was appointed as the Additional Judge to the National Investigation Agency Special Court for conducting the business under sub-section (9) of section 11 of the said Act vide notification number S. O. 580 (E) dated the 26th February, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th February, 2014, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) and (9) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number No. S. O. 580 (E), dated the 26th February, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th February, 2014, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Delhi, hereby appoints Shri Bharat Parashar as the Additional Judge to the National Investigation Agency Special Court for the purposes of the said Act.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Pt.)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.